


कार्यालय पुलिस अधीक्षक : जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
आदेश

सउनि कृष्ण कुमार कोशले द्वारा आवेदक प्रहलाद गिरी गोस्वामी एवं अन्य के द्वारा चौकी नैला में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दिनांक 18.05.2026 के संबंध में चौकी प्रभारी नैला को तत्संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। पुनः आवेदकगणों के द्वारा दिनांक 19.05.2026 को चौकी नैला में उपस्थित होने पर चौकी प्रभारी नैला को अवगत कराये बिना मनमाने ढंग से थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 372/2026 धारा 296,351(3),115(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार सउनि कृष्ण कुमार कोशले द्वारा बिना चौकी प्रभारी को अवगत करायें मनमाने ढंग से अपराध पंजीबद्ध कर संदिग्ध एवं स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण प्रदर्शित करने के फलस्वरूप सउनि कृष्ण कुमार कोशले, चौकी नैला को तत्काल प्रभाव से रक्षित केन्द्र जांजगीर संबद्ध किया जाता है।


पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा
21 मई 2026

क्र./पु.अ./जां.चां./स्टेनो/ 170 /2026 जांजगीर
प्रतिलिपि :-

01. नगर पुलिस अधीक्षक, जांजगीर को सूचनार्थ एवं थाना प्रभारी जांजगीर से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न कर प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन सुसंगत दस्तावेजों सहित 05 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु।
02. रक्षित निरीक्षक को वास्ते ओ.बी.।
03. रक्षित निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. चौकी प्रभारी नैला को सूचनार्थ एवं सउनि कृष्ण कुमार कोशले को तत्काल रक्षित केन्द्र हेतु रवानगी देने बाबत।
05. मुख्य लिपिक/स्थापना लिपिक/जिविशा/एसी-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा